

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 174/2019

1. ज्ञानीराम गुर्जर पुत्र रामौतार उर्फ ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
2. कृष्ण कुमार पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
3. भागीरथमल पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
4. माडूराम पुत्र ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.
5. सगरली पत्नी ताराचन्द जाति गुर्जर निवासी बांसियाल तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू राज.

..... प्रार्थीगण

ब-ना-म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुंझुनू (राज)

.....अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक 30-03-2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम बांसियाल स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 203 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ज्ञानीराम पुत्र औतारा के स्थान पर ज्ञानीराम गुर्जर पुत्र श्री रामौतार उर्फ ताराचन्द तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति का नाम औतारा के स्थान पर ताराचन्द दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076-2079 खाता सं. 203 ग्राम बांसियाल पेश की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम बांसियाल स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 203 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ज्ञानीराम पुत्र औतारा के स्थान पर ज्ञानीराम गुर्जर पुत्र श्री रामौतार उर्फ ताराचन्द तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति का नाम औतारा के स्थान पर ताराचन्द दुरुस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। यदि उक्त भूमि रहन हो तो भूमि रहन मुक्त होने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।




144
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनू)

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बांसियाल स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 203 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ज्ञानीराम पुत्र औतारा के स्थान पर ज्ञानीराम गुर्जर पुत्र श्री रामौतार उर्फ ताराचन्द तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के पिता/पति का नाम औतारा के स्थान पर ताराचन्द दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30-03-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजपाल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी